कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,वन एवं वन्य जीव प्रभाग,बरेली।

पत्रांक 2513/14– 1,बरेली,दिनांक, 28 दिसम्बर, 2021।

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्य जीव, बरेली वृत्त,बरेली।

बिषयः– जनपद बरेली में बरेली–रामपुर मार्ग (पुराना एन0एच0–24) किमी0 242, चैनेज 241.650, प्लाट नं0–सी0पी03, सी0बी0गंज तहसील–सदर, जिला बरेली पर रियल वर्चुअल वर्क्स प्रा0 लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे सिक्का होटल के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.0922187 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 19 वृक्षों के पातन की अनुमति सम्बन्धी।
(Online Proposal No. FP/UP/Approach/49598/2020)

संदर्भः– आपका पत्रांक 1252/14–1, दिनांक 01.11.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में प्रस्ताव में वर्णित आपत्तियों के सापेक्ष बिन्दुवार आख्या निम्नवत हैः–

क्रम सं0	इंगित आपत्तियाँ	आपत्तियों का निस्तारण
01	कुछ पृष्ठों पर प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर के साथ दिनांक अंकित नहीं है।	प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर के साथ दिनांक अंकित कर दिया गया है।
02	उप प्रभागीय वनाधिकारी एवं क्षेत्रीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर के साथ नाम व दिनांक अंकित नहीं किया गया है	उप प्रभागीय वनाधिकारी एवं क्षेत्रीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर के साथ नाम व दिनांक अंकित कर दिया गया है।
03	बरेली–रामपुर मार्ग के किमी0– 240 से 241 में पौध रोपण हेतु पर्याप्त स्थान है अथवा नहीं उसका निरीक्षण कर लिया गया है अथवा नहीं अवगत करायें।	वर्णित आपत्ति के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 1924/14–1, दिनांक 12.11.2021 द्वारा क्षेत्रीय वनाधिकारी,बरेली को स्थलीय निरीक्षण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। क्षेत्रीय वनाधिकारी,बरेली ने अपने पत्रांक 321/14–1, दिनांक 06.12.2021 द्वारा अवगत कराया कि बरेली–रामपुर मार्ग के किमी0 240 से 241 के मध्य पूर्व का वृक्षारोपण विद्यमान होने के कारण नये वृक्षारोपण हेतु पर्याप्त स्थान नहीं है। तद्क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 2308/14–1, दिनांक 13.12.2021 द्वारा क्षेत्रीय वनाधिकारी,बरेली को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त स्थल का चयन कर जी0पी0एस0 रीडिंग सहित इस कार्यालय को सूचित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। क्षेत्रीय वनाधिकारी,बरेली ने अपने पत्रांक 344/14–1, दिनांक 21.12.2021 द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु बरेली–रामपुर मार्ग (जेलर बाग के सामने) का चयन कर इस कार्यालय को सूचित किया गया। अतः उपरोक्तानुसार भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्राक्कलन, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का भू–संदर्भित डिजीटल मानचित्र, टोपोशीट, ऑनलाईन भाग–2 में संशोधन कर संशोधित प्रतियाँ प्रस्ताव अन्तर्गत संलग्न कर दी गयी है।

04	उक्त होटल पूर्व से स्थापित है अथवा नव निर्मित है, उक्त स्थल पर होटल की कितनी आवश्यकता है	वर्णित आपत्ति के क्रम में क्षेत्रीय वनाधिकारी,बरेली ने अपने पत्रांक 321/14–1, दिनांक 06.12.2021 द्वारा अवगत कराया है कि उक्त होटल नव निर्मित है, उक्त क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र के निकट होने के कारण इस होटल की आवश्यकता है।
05	स्थलीय निरीक्षण कर यह प्रमाणित करें कि इस प्रस्तावित मार्ग के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग इस होटल के लिए उपलब्ध नहीं है।	क्षेत्रीय वनाधिकारी,बरेली ने अपने पत्रांक 321/14–1, दिनांक 06.12.2021 द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्तावित मार्ग के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग इस होटल के लिये उपलब्ध नहीं है।
06	प्रस्तावित मार्ग की लम्बाई 39.24 मी0 व चौड़ाई 23.5 मी0 दर्शायी गयी है जो काफी अधिक है। जिसे कम किया जाये, जिससे कम से कम वृक्षों का पातन हो। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से अधिक वृक्षों का पातन किया जाना उचित नहीं है।	प्रस्तावित मार्ग की लम्बाई 39.24 मी0 व चौड़ाई 23.5 मी0 जोकि आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भी अंकित की गयी है व लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित ले–आउट प्लान के अनुसार प्रस्तावित मार्ग पर आवश्यक है।

संलग्नक–यथोपरि 4 मूल प्रस्ताव।

भवदीय,

(समीर कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।

पत्रांक /14–1,दिनांकित।

प्रतिलिपि प्राधीकृत हस्ताक्षरकर्ता, रियल वर्चुअल वर्क्स प्रा0 लि0, सिक्का हाउस, सी– प्रीत विहार, विकास मार्ग दिल्ली–110092 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(समीर कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।

(F/-(Surveyor सर्वेयर) NOC/ FLT/ Sikka Hotel. Lettar - Atv)